

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत श्यालुता
पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/318/12

अनुवान-

बिरदा बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

05.06.2018:-आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत श्यालुता पर मूल वाद के साथ पेश हुई। मूलवाद का निस्तारण होने से प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।



पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंगन मूल वाद जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट श्यालुता तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत श्यालुता